

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (ii) में प्रकाशनार्थ)

ई फा.सं. 6/2(i)/2022-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग


30 अगस्त, 2024

नई दिल्ली, दिनांक -----

8 भाद्रपद, 1946 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 8 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा, श्री विवेक जोशी के स्थान पर श्री नागराजू मद्दिराला (सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग) को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक के पद पर नामित करती है।



(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।